



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 3936/2026

जसवन्त उर्फ लवादे उर्फ लौदाऊ

...प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ

...विरोधी पक्षकार(गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता : - हरि ओम दिवेदी

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिये विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. प्रार्थी की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र थाना- दरगाह शरीफ, जिला - बहराइच में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 103(1), 238, 61(2) के अंतर्गत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 56/2026 में उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी को केवल इस धारणा के आधार पर वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है कि मृतक के प्रार्थी की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे। आगे यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी की निशानदेही पर हथियार की झूठी बरामदगी दिखाई गई है। यह पुरजोर तर्क प्रस्तुत दिया गया कि वस्तु को फॉरेंसिक विशेषज्ञ के साथ-साथ फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ के लिए विधिविज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है, लेकिन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आज तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अंत में यह तर्क दिया गया कि प्रार्थी, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, दिनांक 12.02.2026 से जेल में बंद है, लेकिन आज तक आरोप विरचित नहीं किए गए हैं और निकट भविष्य में विचारण समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थी जमानत का हकदार है। यह भी कहा गया कि प्रार्थी जमानत की स्वतंत्रता का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रार्थी को जमानत देने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और यह तर्क दिया कि प्रार्थी की निशानदेही पर 'हंसिया' बरामद किया गया था। हालांकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं करते हैं कि मृतक के रक्त तथा फिंगरप्रिंट से संबंधित विधिवैज्ञानिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि आज तक आरोप विरचित नहीं किए गए हैं।

5. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के तर्कों पर विचार करने तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु और अन्य संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और कथित बरामदगी के आधार पर फंसाया गया है। यह भी स्पष्ट है कि विधि वैज्ञानिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, प्रार्थी दिनांक 12.02.2026 से जेल में है, लेकिन आज तक आरोप विरचित नहीं हुए हैं। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार है कि प्रार्थी जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

7. प्रार्थी - जसवन्त उर्फ लवादे उर्फ लौदारू को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 56/2026 में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (i) प्रार्थी पर जैसा अपराध करने का आरोप है या संदेह है, वह ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भागीदार नहीं होगा।
- (ii) प्रार्थी मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
- (iii) प्रार्थी इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब न्यायालय में साक्षीगण उपस्थित हो, तब वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में, विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।
- (iv) प्रार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-क भारतीय दंड संहिता/269 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।
- (v) यदि प्रार्थी विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता/84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और यदि प्रार्थी ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय धारा 174-क भारतीय दंड संहिता/209 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।
- (vi) प्रार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष (1) वाद के प्रारंभ होने (2) आरोप विरचित होने और (3) धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता/351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत की गई तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में प्रार्थी की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के बिना है, तो विचारण न्यायालय इस प्रकार की चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

8. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, विद्वान् अवर न्यायालय जमानत रद्द करने के मामले में समुचित आदेश पारित करने के लिये स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

12 जून, 2026

वीकेएस

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।